फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : हरिराम — बनाम — विपक्षी : वंशीलाल

विषय मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम — पत्रावली संख्या : 198/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक 13.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजस्वकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए जाते है। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनागस्त आराजीयात में प्रार्थी का नाम संशोधित कर हीरालाल पुत्र दोला मीणा के स्थान पर हरिराम पुत्र दोला मीणा किए जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा धावड़िया पटवार हल्का धावड़िया तहसील भीण्डर की प्रार्थनागस्त आराजीयात प्रार्थी के पिता दोला मीणा पुत्र देवा मीणा के नाम पर दर्ज थी जिनका निधन दिनांक 13.08.1993 को हो गया था जिसके पश्चात प्रार्थनागस्त आराजीयात में विरासत से नामान्तरण स्वीकार किया गया परन्तु विरासत से नामान्तरण के समय गलती से प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र दोला मीणा नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम हरिराम पुत्र दोला अंकित होना चाहिए था जिसको दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में सम्वत 2078–81 के खाता संख्या 117, 149 में खातेदार हीरालाल पिता दोला का नाम जमाबंदी में हिस्से अनुसार दर्ज है। ग्राम धावड़िया के साबिक भू–अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दोला पिता देवा मीणा दर्ज था हि बदस्तुर जमाबन्दी दर्ज था। नामान्तरण सं. 343 दिनांक 27.03.1997 से दोला की विरासत हुई जिसमें प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र दोला दर्ज हुआ। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया की ग्राम धावड़िया के मौतबिरान से जानकारी लेने पर हीरालाल व हरिराम नाम का एक व्यक्ति होना बताया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड की प्रति, मतदान पहचान पत्र की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति पेश की व कार्यालय ग्राम पंचायत धावड़िया का प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमें प्रमाणित किया गया की हरिराम मीणा पिता दोला मीणा यहां के निवासी हैं तथा इन्हें हीरालाल पुत्र दोला के नाम से भी जाना जाता हैं व व्यक्तिगत रूप से पहचानना बताया। अतः प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व कार्यालय ग्राम धावड़िया के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धावड़िया पटवार हल्का धावड़िया तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 117, 149 में प्रार्थी नाम हीरालाल पुत्र दोला जाति मीणा के स्थान पर हरिराम पुत्र दोला जाति मीणा अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:31:30 IST
Reason: SelfAttested